

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: कंडिका-1.1: पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

अ-सामान्य आंकड़े

स.क्र.	विवरण	आंकड़े (छत्तीसगढ़)
1	क्षेत्र	1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	2.55 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (राष्ट्रीय औसत =21.92 प्रतिशत)	39.93 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत=73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (जैसा की वर्ष 2019 में) (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत=30 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	40 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2014-18 संपूर्ण भारत का औसत=69.40)	65.20
8	जनसंख्या वृद्धि (2011-2021)	संपूर्ण भारत छत्तीसगढ़
		12.30 15.17
9	2020-21 के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी)	3,50,270 करोड़

ब-वित्तीय आंकड़े

विवरण		वर्ष 2011-12 से 2019-20		वर्ष 2019-20 से 2020-21	
सी.ए.जी.आर		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	11.61	11.96	-4.56	-1.08
ख	कर राजस्व का	9.88	9.49	-4.43	3.49
ग	करेत्तर राजस्व का	13.20	8.74	-35.60	-10.04
घ	कुल व्यय का	12.18	14.41	4.54	-3.64
ङ	पूँजीगत व्यय का	10.10	6.20	-2.36	5.24
च	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का	11.12	15.90	-1.50	-11.21
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.33	20.74	14.65	20.02
ज	मजदूरी एवं वेतन का	10.18	14.34	2.27	1.33
झ	पेंशन का	13.31	17.10	6.02	7.50

(नोट: वित्तीय आंकड़े राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित हैं)

परिशिष्ट-2.1
(संदर्भ: कडिका 2.4.1: पृष्ठ 28)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग क-प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	53,685(90)	59,647(86)	65,095(82)	63,869(76)	63,176(74)
(i) स्वयं के कर राजस्व	18,945(35)	19,895(33)	21,427(33)	22,118(35)	22,118(36)
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	9,927(52)	6,450(32)	4,088(19)	3,931(18)	4,236(19)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,444(18)	4,054(20)	4,489(21)	4,952(22)	4,636(20)
वाहन कर	985(5)	1,180(6)	1,205(06)	1,275(06)	1,148(05)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,211(6)	1,197(6)	1,108(05)	1,635(07)	1,585(07)
भू-राजस्व	504(3)	446(2)	488(02)	552(02)	938(02)
माल एवं यात्री कर	1,340(7)	478(2)	54(0)	41(0)	80(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	4,387(22)	8,203(38)	7,895(36)	7,925(35)
अन्य कर	1,534(8)	1,703(09)	1,792(08)	1,838(09)	2,341(10)
(ii) करेतर राजस्व	5,669(11)	6,340(11)	7,703(12)	7,934(12)	7,137(11)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	18,809(35)	20,755(35)	23,459(36)	20,206(32)	20,338(32)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	10,262(19)	12,657(21)	12,506(19)	13,611(21)	12,812(20)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	02	03	05	04	05
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	173	138	162	257	105
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	00	01	02	00	00
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	53,860	59,789	65,264	64,130	63,286
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,480(9)	9,652(14)	14,370(18)	19,588(53)	21,582(25)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,098	9,188	13,817	19,308	17,961 ¹
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	382	465	553	279	3,620
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	59,340	69,441	79,634	83,718	84,868
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	60	00	00	05	00
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	62,694	72,058	76,903	89,910	81,446
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,22,094	1,41,499	1,56,537	1,73,628	1,66,314
भाग ख: व्यय/भुगतान					
10. राजस्व व्यय	48,165(83)	56,230(84)	64,411(88)	73,477(89)	70,033(89)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	11,496(24)	12,870(23)	15,280(24)	19,095(26)	19,586(28)
समाजिक सेवायें	21,342(44)	24,372(43)	23,455(37)	26,653(36)	25,066(35)
आर्थिक सेवायें	14,176(29)	17,623(31)	24,781(39)	26,609(36)	24,255(35)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,151(02)	1,365(02)	895(01)	1,120(2)	1,125(02)

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
11. पूँजीगत व्यय	9,471(16)	10,001(15)	8,903(12)	8,566(02)	9,024(11)
सामान्य सेवायें	188(1.99)	303(3)	255(03)	194(02)	509(06)
समाजिक सेवायें	2,461(26)	2,652(27)	1,774(20)	1,912(22)	2,935(33)
आर्थिक सेवायें	6,822(72)	7,046(70)	6,874(77)	6,460(76)	5,581(62)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	273	369	240	56	51
12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.44	1.00	0.25	0.05	0.01
13. योग (10+11+12+12(अ))	57,909	66,600	73,555	82,100	79,108
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	1,153	1,000	1,146	8,696	8,020
आंतरिक ऋण	983(85)	828(83)	953(83)	8,480(98)	7,805(97)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	170(15)	172(17)	193(17)	216(02)	215(03)
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	59,122	67,600	74,700	99,419	87,128
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
18. लोक लेखे से भुगतान	61,149	71,754	76,357	83,719	81,120
19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18)	1,20,271	1,39,354	1,51,057	1,83,138	1,68,248
भाग ग: घाटे					
20. राजस्व कमी (-)(1-10)/आधिक्य (+)	5,521	3,417	684	(-)9,609	(-)6,857
21. वित्तीय कमी (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)4,047	(-)6,810	(-)8,292	(-)17,970	(-)15,822
22. प्राथमिक कमी (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-)1,360	(-)3,712	(-)4,640	(-)12,999	(-)10,189
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान	2,687	3,098	3,652	4,971	5,633
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,62,801	2,82,283	3,18,101	3,44,955	3,50,270
27. वर्षान्त पर देयतायें	44,258	52,907	66,750	78,712	92,714²
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटियां)	3,983	3,882	10,769	18,459	19,836
29. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि	12,641	6,550	19,574	27,995	26,695
30. अधूरे परियोजना की संख्या	145	110	107	145	149
31. अधूरे परियोजना में अवरूद्ध पूँजी	5,937	4,067	4,365	3,355	4,444
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I. संसाधन सं					
स्वयं कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय कर हस्तांतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06

² बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹89,605 करोड़ होगी

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
II- व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.22	0.24	0.23	0.24	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.08	1.12	1.13	1.29	1.25
राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.83	0.84	0.88	0.89	0.89
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11
III- राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.01	0.00	(-)0.03	(-)0.02
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.02	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.05	(-)0.05
प्रारंभिक घाटा/आधिक्य/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.01	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.04	(-)0.03
राजस्व घाटा/आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(-)1.36	(-)0.50	(-)0.08	(-)0.53	(-)0.43
IV- राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25 ³
राजकोषीय देनदारियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.81	0.89	1.03	1.23	1.47
V- अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.07	0.02	0.03	0.06
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.53	1.48	1.43	1.23	1.13

³ ₹92,714 करोड़ की कुल देनदारियों की राशि से ₹3,109 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर गणना की गई।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ:कडिका-3.3.1: पृष्ठ 54)

वर्ष 2020-21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	761-कन्या शिक्षा परिसर	23.84	0.01	23.85	15.48
2	1206- ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी	1.50	0.00	1.50	0.74
3	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	49.86	0.00	49.86	22.28
4	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.00
5	4663-स्पनिंग मिल हेतु अनुदान	0.07	0.00	0.07	0.05
6	4691-कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	6.00	0.00	6.00	5.01
7	5534-स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.40	0.00	1.40	1.40
8	5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.69
9	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.00
10	6388-नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	65.56	0.00	65.56	30.95
11	7330-मितानिन कल्याण निधि	110.00	25.00	135.00	185.00
12	7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	68.19	18.51	86.70	88.36
13	7361-सबला योजना	8.45	0.00	8.45	3.49
14	7435-पोषण	38.50	0.00	38.50	33.05
15	7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	400.00	0.00	400.00	267.77
16	7747-महतारी जतन योजना	31.00	0.00	31.00	13.93
17	7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1,600.00	0.00	1,600.00	254.24
18	7875-सुचिता योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
19	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना	38.00	0.00	38.00	21.70
20	8977-असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	1.07
21	8989-ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	4.36
22	9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	7.00	0.00	7.00	0.00
23	9369-महिला जागृति शिविर	4.85	0.00	4.85	3.45
योग		2,572.71	43.52	2,616.23	1,030.03

परिशिष्ट: 3.2

(संदर्भ-कंडिका-3.3.2: पृष्ठ-54)

वर्ष 2020-21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	436-विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.01
2	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	4.00	0.00	4.00	1.10
3	1190-ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता	5.00	0.00	5.00	0.40
4	1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.47
5	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	49.86	0.00	49.86	22.28
6	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.00
7	3673-राज्य छात्रवृत्ति	330.00	0.00	330.00	237.88
8	4699-अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति	1.10	0.00	1.10	0.80
9	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	5.50	0.00	5.50	0.43
10	5428-राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	0.70	0.00	0.70	0.02
11	5429-युवा कल्याण गतिविधि	3.00	0.00	3.00	1.07
12	5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.69
13	5571-विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना	4.10	0.00	4.10	3.93
14	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.00
15	5646-सैनिक स्कूल की स्थापना	3.66	0.00	3.66	0.93
16	5671-बी.पी.एल बुक बैंक योजना	0.50	0.00	0.50	0.45
17	5672-बी.पी.एल छात्रवृत्ति योजना	6.15	0.00	6.15	6.06
18	5904-अ.जा. के छात्रों के लिए पुस्तक आदि का प्रदाय	109.18	0.00	109.18	1.82
19	6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.14
20	6386-मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	601.46	70.43	671.89	420.31
21	6425-मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
22	6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1,602.73	0.00	1,602.73	971.90
23	6889-मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	1.50	0.00	1.50	1.44
24	6913-कुभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना	1.55	0.00	1.55	0.70
25	6944-पुस्तकालय योजना	1.12	0.00	1.12	0.00
26	7341-आई0आई0आई0टी0 की स्थापना	25.00	0.00	25.00	8.00
27	7363-युवा कैरियर विकास योजना	12.03	0.00	12.03	3.54
28	7366-सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.28	0.00	0.28	0.01
29	7367-मॉडल स्कूल योजना	30.76	0.00	30.76	14.77
30	7430-शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा	0.55	0.00	0.55	0.38
31	7434-कवर्धा मत्सय महाविद्यालय के लिये अनुदान	4.00	0.00	4.00	2.40
32	7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	38.50	0.00	38.50	33.05
33	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	9.80	0.00	9.80	4.15
34	7632-युवा क्षमता विकास योजना	9.10	0.00	9.10	0.21
35	7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	84.85	0.00	84.85	0.00
36	7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.29	0.00	7.29	3.55
37	7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	22.14	0.00	22.14	0.00
38	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	38.00	0.00	38.00	21.70
39	7914-कौशल स्वरोजगार योजना	1.62	0.00	1.62	0.00
40	7979-समग्र शिक्षा	1,590.00	0.00	1,590.00	539.89
41	8050-छात्रवृत्ति	39.90	0.00	39.90	31.00

42	8539-कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना	10.00	0.00	10.00	0.00
43	8899-पशु धन मित्र योजना	3.30	0.00	3.30	3.30
44	8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	10.00	0.00	10.00	6.76
45	8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	0.00	3.01	2.42
46	8935-लाइवलीहुड कालेज परियोजना	27.82	0.00	27.82	8.08
47	8977-छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	1.07
48	8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	124.81	0.00	124.81	79.46
49	8989-छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	4.36
50	9381-बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.04
51	9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	0.83	0.00	0.83	0.74
योग		4,939.81	70.43	5,010.24	2,518.71

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.4: पृष्ठ-55)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6369-बृहद सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और नवीकरण	80.00	0.00	80.00	0.00
2	6371-मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और नवीकरण	18.60	0.00	18.60	0.00
3	6372-लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और नवीकरण	1.40	0.00	1.40	0.00
4	6373-लघु वनोपज के लिए अनुदान	50.00	0.00	50.00	0.00
5	6375-विकलांगों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्राई साइकिल योजना	3.51	0.00	3.51	0.00
6	6378-स्काडा योजना	61.04	0.00	61.04	0.00
7	6380-सिरपुर समेकित विकास योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
8	6381-रत्न और आभूषण पार्क की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
9	6382-उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	2.00	0.00	2.00	0.00
10	6390-मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना	13.00	0.00	13.00	0.00
11	6394-धर्म निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालय	2.02	0.00	2.02	0.00
12	6396-कुदुरगढ़ में रोपवे का निर्माण	3.00	0.00	3.00	0.00
13	6397-दमाखेड़ा में अवस्थापना विकास	3.00	0.00	3.00	0.00
14	6401-चावल किलेबंदी	5.80	0.00	5.80	0.00
15	6407-राज्य युवा महोत्सव	5.00	0.00	5.00	0.00
16	6408-राज्य युवा मितान क्लब	50.00	0.00	50.00	0.00
17	6409-मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
18	6410-मुख्यमंत्री ई-समीक्षा	4.00	0.00	4.00	0.00
19	6415-प्रधानमंत्री कुसुम योजना	189.90	0.00	189.90	0.00
20	6416-सौर पम्पों के माध्यम से नदियों/एनीकटों से तालाबों को पानी भरने की योजना	20.00	0.00	20.00	0.00
21	6417-मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास	25.00	0.00	25.00	0.00
22	6425-मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
23	6426-हरित खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
24	6427-राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	1.00	0.00	1.00	0.00
25	6434-आई.आई.टी. भिलाई को जलापूर्ति योजना	3.00	0.00	3.00	0.00
26	6436-मुख्यमंत्री प्रौद्योगिक प्रोत्साहन एवं विकास योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
27	6437-खेल प्राधिकरण	2.00	0.00	2.00	0.00
28	6452-मुख्यमंत्री अधोसंरचना अनुरक्षण और उन्नयन प्राधिकरण	0.00	200.00	200.00	0.00
29	6454-बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	200.00	200.00	0.00
30	6457-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय	0.00	115.20	115.20	0.00
योग		553.27	515.20	1,068.47	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.5.3: पृष्ठ 58)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन	264.56	1.00	176.60	-87.96
02	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	27.15	120.00	13.40	-13.75
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,069.53	-877.49
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	111.31	5.54	46.14	-65.17
10	वन	1,760.92	213.80	1,516.28	-244.64
13	कृषि	4,034.38	509.29	4,006.97	-27.40
14	पशुपालन विभाग	499.09	11.78	374.40	-124.69
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	233.48	2.00	147.71	-85.77
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,190.99	1.00	786.14	-404.85
27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	4,106.56	-1,043.24
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	445.70	11.35	309.62	-136.08
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,056.73	162.74	1,486.53	-1,570.21
33	आदिवासी कल्याण	4,858.73	8.02	4,217.57	-641.17
34	सामाजिक कल्याण	94.01	19.89	79.72	-14.29
36	परिवहन	88.11	0.50	45.93	-42.18
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15,741.75	901.19	12,486.69	3,255.06
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	354.63	11.30	218.73	-135.90
55	महिला एवं कल्याण विभाग	1,083.75	9.47	650.92	-432.83
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	4,780.56	-734.62
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	125.86	1.72	35.63	-90.23
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	919.83	10.00	713.23	-206.60
81	वित्तीय सहायता शहरी निकायों के लिए	1,745.02	392.74	1,656.59	-88.42
योग-राजस्व दत्तमत		52,248.00	2,835.74	41,925.45	-3,812.43
पूँजीगत (दत्तमत)					
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.00	80.00	0.00	0.00
03	पुलिस	128.88	6.51	106.21	-22.66
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	21.55	0.80	0.80	-20.75
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.39	80.00	0.06	-0.33
12	ऊर्जा विभाग	703.54	0.50	369.89	-333.62
23	जल संसाधन विभाग	430.11	8.00	291.41	-138.70
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	2,208.78	-861.28
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	990.61	136.07	741.52	-249.09
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	914.81	22.11	377.48	-537.33
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	697.31	0.50	176.87	-520.44

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	131.81	88.25	100.22	-31.60
योग-पूँजीगत दत्तमत		7,089.07	724.64	4,373.24	-2,715.81
कुल योग		59,337.07	3,560.38	46,298.69	-6,528.24

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ-कंडिका-3.5.5, पृष्ठ-60)

उप-शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
1	02-2052-90-6452-मुख्यमंत्री अधोसंरचना अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	120.00	120.00
2	02-4070-800-101-6452-मुख्यमंत्री अधोसंरचना अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	80.00	80.00
3	03-2055-109-8333-सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	20.00	0.00	20.00
4	04-4070-800-7718-आपातकालीन सेवाएं	16.34	0.00	16.34
5	06-2052-90-6454-बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	120.00	120.00
6	06-4070-800-101-6454-बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	80.00	80.00
7	07-2040-1-1201-7919-छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	10.00	0.00	10.00
8	08-2029-797-6753-पर्यावरण निधि का हस्तांतरण	57.82	0.00	57.82
9	08-2029-797-6754-अधोसंरचना विकास निधियों को अंतरण	75.40	0.00	75.40
10	10-2406-1-105-252-अन्य व्यय क्षतिपूर्ति अनुदान वित्तीय सहायता	14.84	0.00	14.84
11	10-2406-1-203-5641-वन प्रबंधन समिति	35.94	0.00	35.94
12	10-2406-1-797-3885-वन विकास निधि में स्थानांतरण	10.00	0.00	10.00
13	11-4851-101-101-5385-नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	20.60	0.00	20.60
14	12-4801-2-190-101-7498-पारेषण/उत्पादन/वितरण कंपनी पर पूँजीगत व्यय	47.50	0.00	47.50
15	12-4801-5-52-101-6378-स्काडा योजना	61.04	0.00	61.04
16	12-4801-80-800-101-6417-मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास	12.50	0.00	12.50
17	12-4810-101-101-6416-सौर पम्प के माध्यम से नदी/एनीकट से तालाबों को पानी से भरने की योजना	10.00	0.00	10.00
18	12-4810-101-311-6415-प्रधानमंत्री कुसुम योजना	85.20	0.00	85.20
19	13-2401-102-101-8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	2,397.00	0.00	2,397.00
20	13-2401-800-1201-6353-चिराग योजना	25.00	0.00	25.00
21	17-4425-108-101-7678-सहकारी समितियों के लिए शेयर पूँजी	10.50	0.00	10.50
22	20-6215-1-101-101-2182-नवीन शहरी जलापूर्ति योजनाएं	50.00	0.00	50.00
23	21-2216-2-190-101-7670-मुख्यमंत्री आवास योजना	10.00	0.00	10.00
24	21-4217-1-50-101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	34.00	0.00	34.00
25	21-6217-1-800-101-7669-रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	50.00	0.00	50.00
26	21-6217-1-800-101-7883-जलापूर्ति योजना	15.00	0.00	15.00
27	22-2217-80-1-7761-शिक्षकों का वेतन	11.00	0.00	11.00
28	23-4700-1-800-101-5685-बांध सुरक्षा और सुदृढीकरण	10.00	0.00	10.00
29	23-4700-80-800-701-6354-बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण	5.50	5.50	11.00
30	24-5054-5-337-101-7818-इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण	79.29	0.00	79.29
31	27-2202-1-108-101-5904-पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	13.13	0.00	13.13
32	27-2202-1-109-101-1394-लड़कियों को वर्दी (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	20.67	0.00	20.67
33	27-2202-2-106-101-5904-पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	12.83	0.00	12.83
34	30-5054-4-101-101-4871-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
35	30-5054-4-337-101-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
36	39-2408-1-3-101-8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण	14.90	0.00	14.90
37	39-2408-1-102-101-7894-सहकारी भंडारों को वित्तीय सहायता	42.50	0.00	42.50
38	39-6408-2-190-311-8545-नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	77.00	0.00	77.00
39	40-4705-209-701-7907-कमान क्षेत्र में सिंचाई की आपूर्ति	115.52	0.00	115.52
40	41-2202-1-796-108-102-5904-पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	21.00	0.00	21.00
41	41-2202-1-796-109-102-1394-लड़कियों को वर्दी (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	43.00	0.00	43.00
42	41-2202-2-796-106-102-5904-पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	17.80	0.00	17.80
43	41-2204-796-103-102-6408-राज्य युवा मितान क्लब	19.00	0.00	19.00
44	41-2216-3-796-105-702-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	608.00	0.00	608.00
45	41-2230-3-796-3-802-7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
46	41-2230-3-796-101-102-7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	33.85	0.00	33.85
47	41-2236-2-796-101-102-6359-मुख्यमंत्री पोषण अभियान	23.00	0.00	23.00
48	41-2401-796-102-102-8972-धान उत्पादन पर संवेदनहीन योजना	1,938.00	0.00	1,938.00
49	41-2401-796-800-1202-6353-चिराग योजना	19.00	0.00	19.00
50	41-2402-796-102-702-7350-एकीकृत जल शेड प्रबंधन कार्यक्रम	76.00	0.00	76.00
51	41-2406-1-796-105-702-6373-लघु वन उपज प्रसंस्करण के लिए अनुदान	50.00	0.00	50.00
52	41-2408-1-796-3-102-8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण	11.32	0.00	11.32
53	41-2408-1-796-102-102-7894-सहकारी भंडारों को वित्तीय सहायता	32.30	0.00	32.30
54	41-4202-1-796-202-1002-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	55.00	0.00	55.00
55	41-4202-1-796-202-1202-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	16.00	0.00	16.00
56	41-4425-796-108-102-7678-सहकारी समितियों के लिए शेरर पूंजी	29.38	0.00	29.38
57	41-4801-2-796-190-102-7498-पारेषण/उत्पादन/वितरण कंपनी पर पूंजीगत व्यय	36.10	0.00	36.10
58	41-4810-796-101-312-6415-प्रधानमंत्री कुसुम योजना	64.75	0.00	64.75
59	41-5054-4-796-101-102-4871-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
60	41-5054-4-796-337-102-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
61	41-6215-1-796-101-102-2182-नवीन शहरी जलापूर्ति योजनाएं	20.00	0.00	20.00
62	41-6408-2-796-190-312-8545-नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	57.72	0.00	57.72
63	42-5054-4-796-101-702-7842-ग्रामीण सड़क परियोजना-2	60.00	0.00	60.00
64	42-5054-5-796-337-102-7818-इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण	62.68	0.00	62.68
65	43-2204-103-101-6408-राज्य युवा मितान क्लब	25.00	0.00	25.00
66	43-2204-104-101-7473-37वां राष्ट्रीय खेल	15.00	0.00	15.00
67	47-2230-3-3-101-7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	41.00	0.00	41.00
68	47-2230-3-3-801-7867-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	10.00	0.00	10.00
69	55-2236-2-101-101-6359-मुख्यमंत्री पोषण अभियान	30.00	0.00	30.00
70	57-4700-13-800-1202-6369-मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00
71	57-4700-14-800-1202-6369-मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00
72	57-4700-15-800-1202-6369-मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00
73	57-4700-16-800-1201-6369-मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00

74	57-4701-80-800-1201-6371-मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण एवं नवीकरण कार्य	15.00	0.00	15.00
75	58-2245-1-101-7710-फसल के विनाश के लिए सहायता	30.00	0.00	30.00
76	58-2245-2-122-6457-राज्य विघटन नवीकरण निधि से व्यय	0.00	60.00	60.00
77	58-2245-2-122-989-पुनः स्थापना और क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्य की मरम्मत	10.00	0.00	10.00
78	58-2245-80-103-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से आपदा राहत कोष में स्थानांतरण	50.00	0.00	50.00
79	58-2245-80-800-6457-व्यय राज्य विघटन नवीकरण निधि से	0.00	53.20	53.20
80	64-2202-1-789-109-103-1394-लड़कियों को वर्दी (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	12.83	0.00	12.83
81	64-2202-2-789-106-103-5904-पाठ्य पुस्तकों की निः शुल्क आपूर्ति	10.00	0.00	10.00
82	64-2230-3-789-3-103-7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
83	64-2401-789-102-103-8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	765.00	0.00	765.00
84	64-2408-1-789-102-103-7894-सहकारी भंडारों को वित्तीय सहायता	10.20	0.00	10.20
85	64-4202-1-789-202-1203-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	12.38	0.00	12.38
86	64-4801-2-789-190-103-7498-पारेषण/उत्पादन/वितरण कंपनी पर पूंजीगत व्यय	11.40	0.00	11.40
87	64-4810-789-101-313-6415-प्रधानमंत्री कुसुम योजना	20.45	0.00	20.45
88	64-5054-5-789-337-103-7818-इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण	40.41	0.00	40.41
89	64-6408-2-789-190-313-8545-नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	19.28	0.00	19.28
90	65-5053-2-102-101-4727-हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार	21.05	0.00	21.05
91	67-4202-2-105-101-515-इंजीनियरिंग/टेक्निकल कॉलेज और संस्थानों के लिए भवन का निर्माण	10.17	0.00	10.17
92	71-3275-800-101-7276-डाटा सेंटर की स्थापना	31.38	0.00	31.38
93	71-5275-101-701-7892-भारत नेट परियोजना के लिए कार्यान्वयन	15.00	0.00	15.00
94	75-4700-7-800-311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	15.00	0.00	15.00
95	75-4700-9-800-311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	45.00	0.00	45.00
96	76-5054-3-337-1201-7433-छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास क्षेत्र परियोजनाएं, चरण-II	10.00	0.00	10.00
97	80-2515-198-7675-14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	173.05	0.00	173.05
98	81-2217-5-191-7675-14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	63.93	0.00	63.93
99	81-2217-5-192-7675-14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	22.01	0.00	22.01
100	81-2217-5-193-7675-14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	18.86	0.00	18.86
101	81-6217-60-192-101-7241-शहरी बुनियादी ढांचे का विकास	20.10	0.00	20.10
102	82-2202-1-796-196-102-8403-बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए शिक्षा के सेनाओं को वेतन के लिए अनुदान सहायता	20.00	0.00	20.00
103	CH1-6003-110-637-तरीके और अग्रिम मतलब	660.00	0.00	660.00
104	CH1-6003-110-779-अग्रिम कमी को पूरा करने के लिए	264.51	0.00	264.51
105	CH1-6004-9-101-3052-ब्लॉक ऋण	67.60	0.00	67.60
106	CH1-6004-9-101-6718-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित ऋण	93.26	0.00	93.26
107	CH2-2049-1-101-2199-नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00
योग		9,918.79	518.70	10,437.49

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका-3.5.6: पृष्ठ -61)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
02	सामान्य प्रशासन	27.15	120.00	147.15	13.40	-133.75	-129.80	-3.95
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,997.62	4,070.15	-927.47	-892.78	-34.70
07	वाणिज्य कर विभाग	291.15	0.00	291.15	187.19	-103.96	-102.96	-1.00
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	937.11	0.00	937.11	620.38	-316.73	-303.99	-12.74
10	वन	1,760.92	213.80	1,974.72	1,516.28	-458.44	-372.64	-85.80
13	कृषि	4,034.38	509.29	4,543.66	4,006.97	-536.69	-536.94	0.25
14	पशुपालन विभाग	499.09	11.78	510.87	374.40	-136.47	-136.30	-0.17
17	सहयोग	232.26	0.00	232.26	125.96	-106.29	-106.37	0.08
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,233.56	387.31	2,620.86	2,412.44	-208.42	0.00	-208.42
20	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	337.39	0.00	337.39	219.07	-118.32	-116.94	-1.39
23	जल संसाधन विभाग	631.58	0.00	631.58	460.48	-171.10	-171.70	0.61
24	लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल	1,190.99	1.00	1,191.99	786.14	-405.85	-748.24	342.39
25	खनिज संसाधन विभाग	374.52	0.15	374.67	99.86	-274.81	-274.88	0.06
27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	5,175.70	4,106.56	-1,069.13	-1,075.04	5.91
29	न्याय और चुनाव का प्रशासन	445.70	11.35	457.05	309.62	-147.43	0.00	-147.43
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3,056.73	162.74	3,219.47	1,486.53	-1,732.95	-1,742.47	9.52
33	जनजातीय कल्याण	4,858.73	8.02	4,866.75	4,217.57	-649.19	-658.80	9.61
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,416.30	0.00	2,416.30	2,182.00	-234.30	-234.02	-0.28
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	15,741.75	901.19	16,642.94	12,486.69	-4,156.25	-3,838.94	-317.31
44	उच्च शिक्षा	767.36	0.00	767.36	594.97	-172.39	-177.29	4.90
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	354.63	11.30	365.93	218.73	-147.20	-91.87	-55.33
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,083.75	9.47	1,093.22	650.92	-442.29	-443.16	0.87
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	695.07	924.48	1,619.55	1,095.63	-523.92	-524.10	0.18
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	5,881.11	4,780.56	-1,100.55	-1,035.51	-65.04
67	लोक निर्माण-भवन	688.51	25.00	713.51	564.89	-148.62	-80.23	-68.39
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	906.44	0.10	906.54	796.47	-110.07	-110.07	0.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	919.83	10.00	929.82	713.23	-216.60	0.00	-216.60

80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,676.54	668.72	3,345.26	2,944.74	-400.52	-412.69	12.17
81	नगरीय निकायों का वित्तीय सहायता	1,745.02	392.74	2,137.75	1,656.59	-481.16	-484.29	3.13
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	360.66	0.00	360.66	238.86	-121.80	-136.09	14.28
योग		64,879.13	4,810.86	69,689.95	53,937.28	-15,752.70	-14,938.10	-814.59
राजस्व (भारित)								
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	5,855.79	414.78	6,270.57	5,695.91	-574.66	-6,845.23	0.00
योग		5,855.79	414.78	6,270.57	5,695.91	-574.66	-6,845.23	0.00
पूँजीगत (दत्तमत)								
11	वाणिज्य और उद्योग से संबंधित व्यय	132.81	0.00	132.81	8.53	-124.28	-124.22	-0.06
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	703.54	0.50	704.04	369.89	-334.15	-334.15	0.00
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	315.93	0.00	315.93	82.60	-233.33	-233.33	0.00
23	जल संसाधन	430.11	8.00	438.11	291.41	-146.70	-146.66	-0.04
24	लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल	1,484.94	0.05	1,484.99	1,040.82	-444.17	-480.20	36.02
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	868.59	0.00	868.59	765.12	-103.47	-102.70	-0.76
40	आयाकट	117.52	0.00	117.52	1.38	-116.14	-115.52	-0.61
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	3,371.96	2,208.78	-1,163.18	-964.64	-198.54
42	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	947.23	0.04	947.27	474.55	-472.72	-484.78	12.06
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	990.61	136.07	1,126.68	741.52	-385.16	-376.82	-8.33
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	914.81	22.11	936.92	377.48	-559.43	-555.02	-4.41
68	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-भवनों से संबंधित लोक निर्माण	165.57	0.00	165.57	59.77	-105.80	-106.00	0.20
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	697.31	0.50	697.81	176.87	-520.94	-520.13	-0.81
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	730.00	0.00	730.00	453.03	-276.97	-275.69	-1.28
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	131.81	88.25	220.07	100.22	-119.85	0.00	-119.85
82	जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	130.00	0.00	130.00	22.50	-107.50	-107.50	0.00
योग		11,930.84	557.42	12,488.27	7,174.47	-5,313.79	-5,027.36	-286.41
कुल योग		82,665.76	5,783.06	88,448.79	66,807.66	-21,641.10	-26,810.70	-1,101.00

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कंडिका- 3.5.6: पृष्ठ -61)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,997.62	4,070.15	-927.47	-892.78	-34.70
13	कृषि	4,034.38	509.29	4,543.66	4,006.97	-536.69	-536.94	0.25
27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	5,175.70	4,106.56	-1,069.13	-1,075.04	5.91
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,056.73	162.74	3,219.47	1,486.53	-1,732.95	-1,742.47	9.52
33	आदिवासी कल्याण	4,858.73	8.02	4,866.75	4,217.57	-649.19	-658.80	9.61
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15,741.75	901.19	16,642.94	12,486.69	-4,156.25	-3,838.94	-317.31
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	695.07	924.48	1,619.55	1,095.63	-523.92	-524.10	0.18
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	5,881.11	4,780.56	-1,100.55	-1,035.51	-65.04
योग		43,998.67	2,948.14	46,946.80	36,250.66	-10,696.15	-10,304.56	-391.58
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	3,371.96	2,208.78	-1,163.18	-964.64	-198.54
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	914.81	22.11	936.92	377.48	-559.43	-555.02	-4.41
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	697.31	0.50	697.81	176.87	-520.94	-520.13	-0.81
योग		4,682.18	324.51	5,006.69	2,763.13	-2,243.55	-2,039.79	-203.76
कुल योग		48,680.86	3,272.65	51,953.49	39,013.79	-12,939.70	-12,344.37	-595.34

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कंडिका- 3.5.6 पृष्ठ -61)

माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	समर्पण
1	01-सामान्य प्रशासन	353.59	1.18	354.77	232.03	-122.74	94.43
2	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	27.15	200.00	227.15	13.40	-213.75	209.80
3	03-पुलिस	5,076.86	57.11	5,133.97	4,176.47	-957.50	918.19
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	132.86	6.34	139.20	47.24	-91.96	90.25
5	05-जेल	196.71	0.00	196.71	141.50	-55.21	55.20
6	06-वित्त	358.32	0.00	358.32	248.45	-109.87	108.87
7	07-वाणिज्य कर विभाग	1,168.73	0.00	1,168.73	832.48	-336.25	318.24
8	08-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	21.24	0.00	21.24	5.12	-16.12	16.11
9	10-वन	1,793.83	217.19	2,011.01	1,533.55	-477.46	388.45
10	11-वाणिज्य एवं उद्योग	349.02	0.00	349.02	173.73	-175.29	175.22
11	12-ऊर्जा	2,962.21	208.95	3,171.16	2,812.89	-358.28	353.28
12	13-कृषि	4,050.24	509.29	4,559.53	4,011.93	-547.60	547.88
13	14-पशुपालन	509.83	11.78	521.61	379.54	-142.08	141.91
14	15- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	252.39	0.00	252.39	147.18	-105.21	113.02
15	16-मतस्य पालन	70.06	0.00	70.06	55.46	-14.61	14.51
16	17-सहकारिता	256.26	0.00	256.26	138.96	-117.29	117.37
17	18-श्रम	215.85	0.00	215.85	150.95	-64.90	65.42
18	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	639.45	225.36	864.81	641.17	-223.64	225.03
19	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	614.91	2.00	616.91	230.82	-386.10	386.09
20	21-भवन एवं पर्यावरण विभाग	23.46	0.00	23.46	5.66	-17.80	17.80
21	23-जल संसाधन	1,070.25	8.00	1,078.25	751.89	-326.36	326.92
22	25-खनिज संसाधन	2,706.95	1.05	2,708.00	1,845.46	-862.54	1,240.95
23	26-सांस्कृतिक विभाग	501.21	0.15	501.36	188.43	-312.94	313.01
24	27-स्कूल शिक्षा	45.70	0.05	45.75	29.49	-16.26	16.27
25	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	5,188.67	25.89	5,214.56	4,131.93	-1,082.63	1,088.54
26	30-पंचायत और ग्रामीण विकास	3,925.51	162.74	4,088.25	2,251.65	-1,836.60	1,845.36
27	31-योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	52.01	0.15	52.16	28.51	-23.64	23.67
28	32-जनसंपर्क विभाग	233.01	0.00	233.01	176.13	-56.88	56.92
29	33-आदिवासी कल्याण	4,859.18	8.02	4,867.20	4,217.69	-649.51	659.12
30	34-सामाजिक कल्याण	94.11	19.89	114.01	79.81	-34.19	35.19
31	36-यातायात	101.08	0.50	101.58	49.90	-51.68	36.14
32	37-पर्यटन	103.50	0.00	103.50	32.71	-70.79	70.79

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	समर्पण
33	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,495.68	0.00	2,495.68	2,182.00	-313.68	313.40
34	40-आयाकट	120.85	0.00	120.85	3.16	-117.69	117.06
35	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	18,916.89	1,203.09	20,119.98	14,719.48	-5,400.50	4,884.65
36	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	960.48	0.04	960.52	474.80	-485.72	497.77
37	43-खेल-कूद युवा कल्याण	84.40	0.00	84.40	11.11	-73.29	73.28
38	44-उच्च शिक्षा	779.46	0.00	779.46	595.03	-184.43	189.32
39	45-लघु सिंचाई कार्य	448.60	0.00	448.60	389.69	-58.91	59.17
40	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	25.50	0.00	25.50	8.76	-16.74	16.74
41	47-तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना	392.09	11.30	403.39	225.74	-177.65	115.51
42	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	238.50	0.00	238.50	180.33	-58.17	51.87
43	55-महिला एवं बाल कल्याण	1,117.16	9.47	1,126.63	667.49	-459.14	460.01
44	56-ग्रामीण उद्योग	134.18	0.00	134.18	91.78	-42.39	42.40
45	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	100.00
46	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	695.27	924.48	1,619.75	1,095.63	-524.12	524.30
47	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6,543.37	502.00	7,045.37	5,535.09	-1,510.29	1,436.91
48	65-उड्डयन विभाग	130.01	0.00	130.01	53.57	-76.44	76.44
49	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	257.26	0.00	257.26	150.68	-106.58	106.58
50	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1,604.19	47.11	1,651.30	942.67	-708.63	635.82
51	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	165.57	0.00	165.57	59.77	-105.80	106.00
52	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	906.44	0.10	906.54	796.47	-110.07	110.07
53	71-सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	190.86	1.72	192.58	70.63	-121.95	66.96
54	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	697.31	0.50	697.81	176.87	-520.94	520.13
55	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	730.00	0.00	730.00	453.03	-276.97	275.69
56	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,824.54	668.72	3,493.26	3,016.84	-476.42	488.59
57	81-नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	2,361.82	421.74	2,783.56	2,265.40	-518.16	521.29
58	82-अनुसूचित जनजाति उपयोगना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	490.66	0.00	490.66	261.36	-229.30	243.59
59	CH1 -लोक ऋण	4,841.47	0.00	4,841.47	8,020.29	3,178.82	847.70
60	CH2 -ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	5,855.79	414.78	6,270.57	5,695.91	-574.66	574.66
	योग	92,062.50	5,870.69	97,933.19	77,905.71	-20,027.50	23,525.86

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7, पृष्ठ-62)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
1	01-सामान्य प्रशासन	48	9	14
2	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	15	6	2
3	03-पुलिस	45	13	18
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	27	7	9
5	05-जेल	7	1	4
6	06-वित्त विभाग	54	25	0
7	07-वाणिज्य कर विभाग	30	14	3
8	08-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	33	16	5
9	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	6	0	5
10	10-वन	75	44	11
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	46	19	1
12	12-ऊर्जा	39	2	13
13	13-कृषि	93	16	34
14	14-पशुपालन विभाग	47	0	23
15	15-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	20	7	7
16	16-मत्स्य पालन	16	6	1
17	17-सहकारिता	19	1	6
18	18-श्रम	16	13	0
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	68	37	0
20	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	81	9	18
21	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग	23	2	16
22	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	5	2	3
23	23-जल संसाधन विभाग	107	14	35
24	24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	45	20	12
25	25-खनिज संसाधन विभाग	13	2	7
26	26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्चे	29	3	9
27	27-स्कूल शिक्षा	76	6	33
28	28-राज्य विधायिका	5	4	1
29	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	32	24	0
30	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	47	20	11
31	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	9	3	2
32	32-जनसंपर्क विभाग	50	1	5

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
33	33-आदिम जाति कल्याण	18	12	2
34	34-सामाजिक कल्याण	42	12	0
35	35-पुर्नवास	3	0	1
36	36-यातायात	18	10	0
37	37-पर्यटन	11	0	11
38	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	34	3	12
39	40-आयकट	5	4	0
40	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	496	133	139
41	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	18	6	7
42	43-खेल एवं युवा कल्याण	22	1	13
43	44-उच्च शिक्षा	34	8	9
44	45-लघु सिंचाई कार्य	17	2	8
45	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4	0	4
46	47-तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	39	18	10
47	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2	2	0
48	50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1	1	0
49	51-धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	10	0	4
50	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों के वित्तीय सहायता	18	2	1
51	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	11	7	3
52	55-महिला एवं बाल कल्याण	52	12	27
53	56-ग्रामीण उद्योग	41	0	19
54	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	8	0	8
55	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	60	26	5
56	60-जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	2	1	1
57	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	368	67	90
58	65-विमानन विभाग	3	0	3
59	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	29	13	5
60	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	192	41	33
61	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	39	1	14
62	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	18	1	10
63	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	33	14	2
64	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	22	0	21
65	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	6	2	4
66	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग	41	30	0
67	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	54	6	24
68	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	93	8	21
69	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26	12	6

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
70	83-अनुसूचित जनजातियों उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	23	2	1
71	CH1 – लोक ऋण	14	18	0
72	CH2 – ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	77	5	4
	योग	3,230	826	830

परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: कंडिका-3.5.8: पृष्ठ-63)

वर्ष 2000-01 से 2019-20 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000-01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	
2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1,20,23,29 और 36	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2017-18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	
2018-19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	
2019-20	3 अनुदान	06,33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
योग			9,944.52

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ:कडिका-3.5.8 पृष्ठ-64)

वर्ष 2020-21 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	06	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	6,320.06	381.00	6,701.06	7,136.62	435.56
2	06	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60
3	08	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	151.27	0.00	151.27	155.43	4.17
4	15	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	37.96	0.00	37.96	45.51	7.55
5	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	2.30	0.00	2.30	5.62	3.32
6	32	2029	भू-राजस्व	0.60	0.00	0.60	0.68	0.08
7	32	2051	लोक सेवा आयोग	0.45	0.00	0.45	0.46	0.01
8	32	2055	पुलिस	0.70	0.00	0.70	0.79	0.09
9	32	2056	जेल	0.10	0.00	0.10	0.15	0.05
10	32	2202	शिक्षा	0.32	0.00	0.32	0.34	0.02
11	32	2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1.20	0.00	1.20	1.33	0.13
12	32	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.35	0.00	0.35	0.36	0.01
13	32	2406	वानिकी और वन्य जीवन	1.50	0.00	1.50	2.02	0.52
14	32	2701	मध्यम सिंचाई	4.00	0.00	4.00	4.52	0.52
15	32	2853	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	0.07	0.00	0.07	0.17	0.10
17	32	3054	सड़कें और पुल	4.00	0.00	4.00	4.25	0.25
18	53	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7.24	0.00	7.24	7.68	0.44
19	64	2501	लोक सेवा आयोग	49.99	0.00	49.99	76.53	26.53
20	64	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.00	0.10	0.57	0.47
21	82	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	77.06	0.00	77.06	89.11	12.05
22	83	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9.60	0.00	9.60	10.34	0.74
23	CH1	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	4,680.08	0.00	4,680.08	7,805.22	3,125.15
24	CH1	6004	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	161.39	0.00	161.39	215.06	53.67
योग				11,510.34	381.00	11,891.34	15,565.35	3,674.01

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: कंडिका-3.6.1, पृष्ठ-65)

उप-शीर्ष (योजना) जहाँ पूरा व्यय मार्च 2021 में किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
1	10	2406-1-800-6447-जैव विविधता प्रबंधन समिति	13.00
2	24	5054-3-337-101-7991-सीआरएफ के तहत निर्माण में राज्य सरकार द्वारा व्यय	7.00
3	44	2202-5-102-101-7461-संस्कृत भाषा सम्मान	0.16
4	55	2235-2-102-101-7916-किशोर न्याय निधि	0.50
5	56	2851-103-101-7885-हथकरघा क्षेत्र के पुरस्कृत बंकारो के प्रमुख आर्थिक सहायता	0.15
6	56	2851-105-101-6428-खादी स्टोर की स्थापना	1.00
7	66	4225-3-800-101-7978-दामाखेड़ा का एकीकृत विकास	2.00
8	66	4225-4-800-101-7978-दामाखेड़ा का एकीकृत विकास	2.00
9	71	3275-800-101-7823-स्वान परियोजना का विस्तार	1.72
10	80	2405-101-101-7756-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	0.25
योग			27.78

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कडिका 4.2, पृष्ठ-66)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम	2017-18 तक		2018-19		2019-20	
		उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
01	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	0.00*
02	2202-सामान्य शिक्षा	1	0.01	7	5.92	0	0.00
03	2203-तकनीकी शिक्षा	12	54.06	0	0.00	0	0.00
04	2205-कला एवं संस्कृति	0	0.00	0	0.00	1	1.00
05	2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	0	0.00	0	0.00	2	3.00
06	2216-आवास	3	119.58	17	1,927.97	12	625.94
07	2217- नगरीय प्रशासन	5	7.19	75	843.04	133	1,198.90
08	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8	0.80	5	0.53	0	0.00
09	2401-फसल-कृषि कर्म	3	4.32	2	1.61	3	35.59
10	2402-भूमि एवं जल संरक्षण	0	0.00	1	4.36	7	89.88
11	2403-पशुपालन	4	1.69	0	0.00	0	0.00
12	2405-मत्स्योद्योग	0	0.00	0	0.00	3	4.11
13	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1	9.72	0	0.00	1	0.01
14	2702-लघु सिंचाई	0	0.00	1	0.01	0	0.00
15	3054-सड़क एवं पुल	0	0.00	0	0.00	3	240.25
16	3275-अन्य संचार सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	6	13.41
17	3604-स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	30	48.24	47	661.77	65	1,114.02
योग		67	245.61	155	3,445.21	238	3,326.11

*उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि ₹2,900.00

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.3, पृष्ठ-68)

31 जनवरी 2021 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	2017-18	01	0.01
		2020-21	01	0.02
2054	खजाना तथा प्रशासन	2019-20	01	*0.00
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2020-21	01	#0.00
2202	सामान्य शिक्षा	2019-20	01	0.03
2203	तकनीकी शिक्षा	2020-21	01	0.37
2230	श्रम तथा रोजगार	2019-20	04	1.73
		2020-21	06	@0.00
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2017-18	14	0.18
		2018-19	60	0.80
		2019-20	99	0.92
		2020-21	93	0.71
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2018-19	05	0.02
2401	फसल-कृषि कर्म	2018-19	07	0.05
		2019-20	49	1.69
		2020-21	47	1.41
2403	पशुपालन	2018-19	02	\$0.00
		2019-20	03	0.01
2405	मछली पालन	2018-19	09	0.10
		2019-20	15	0.35
		2020-21	15	0.34
2406	वन एवं वन्य प्राणी	2018-19	01	%0.00
		2019-20	02	**0.00
2408	खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह	2020-21	01	^0.00
2425	सहकारिता	2019-20	05	184.26
		2020-21	03	100.00
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2019-20	01	2.42
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2018-19	01	##0.00
2701	मध्यम सिंचाई	2017-18	01	^^0.00
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2018-19	01	*0.00
2852	उद्योग	2019-20	06	0.05
		2020-21	04	0.03
योग			460	295.53

*वि. आ. राशि ₹9,790.00, #वि. आ. राशि ₹11,906.00, @वि. आ. राशि ₹45,000.00, \$वि. आ. राशि ₹58,000.00, % वि. आ. राशि ₹71,390.00

** वि. आ. राशि ₹16,600.00, ^वि. आ. राशि ₹33,000.00, ##वि. आ. राशि ₹29,227.00, ^^वि. आ. राशि ₹4,190.00

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.9, पृष्ठ-74)

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल प्राप्तियां	वर्ष 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों का लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियों का प्रतिशत
01	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	89.77	53.24	59.31
02	0055	पुलिस	29.06	25.90	89.13
03	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1.99	1.57	78.89
04	0059	लोक निर्माण कार्य	32.23	31.70	98.36
05	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	35.67	19.95	55.93
06	0217	शहरी विकास	10.20	10.20	100.00
07	0220	सूचना तथा प्रसार	0.04	0.04	100.00
08	0235*	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13.33	13.34	100.07
09	0408	खाद्य भंडारण तथा भंडारगृह	1.30	1.30	100.00
10	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.86	1.75	94.09
11	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	37.69	34.72	92.12
12	0702	लघु सिंचाई	232.72	233.63	100.39
13	0852	उद्योग	12.08	12.92	106.95
योग			497.94	440.26	

*मुख्य शीर्ष 0235, 0702 और 0852 के तहत प्राप्तियां राजस्व की वापसी के कारण संबंधित प्रमुख शीर्षों की कुल प्राप्तियों से अधिक प्रतीत होती हैं। इन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत राजस्व की वापसी क्रमशः ₹0.01 करोड़, ₹2.26 करोड़ तथा ₹0.84 करोड़ थी।

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: कंडिका 4.9, पृष्ठ 74)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्ष -800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय	मुख्य शीर्ष -800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय का प्रतिशत
01	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.20	0.20	100.00
02	2245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	*1,095.63	517.30	47.21
03	2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा	49.70	29.70	59.76
04	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	216.45	116.65	53.89
05	3275	अन्य संचार सेवाएँ	35.63	35.63	100.00
06	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.70	2.70	100.00
07	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	335.25	204.60	61.03
08	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	71.12	56.47	79.40
09	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	*202.10	150.00	74.22
10	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	8.70	7.60	87.36
11	5055	सड़क यातायात पर पूंजीगत परिव्यय	3.97	3.97	100.00
12	5425	वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	100.00
योग			1,156.95	1,127.82	

*मुख्य शीर्ष 2245 एवं 4801 के अंतर्गत दिखाया गया व्यय सकल व्यय है ।

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: कडिका 4.14, पृष्ठ-

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में
विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
02	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0	1	0	2	0.81
03	जिला प्रशासन	1	0.68	5	0.8	1	3	7	4.48
04	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	3	0.19	0	0	3	11.81	6	12
05	तकनीकी शिक्षा	6	2.31	0	0	7	50.3	13	52.61
06	ग्रामीण विकास	4	1.08	3	0.2	14	16.7	21	17.98
07	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0	0	0	2	1	2	1
08	विद्यालय शिक्षा	21	12.93	19	156.26	19	67.1	59	236.29
09	पुलिस	36	6.56	5	19.45	218	28.29	259	54.3
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	0.29	2	0.31	7	0.85	12	1.45
11	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.5	11	1.87	2	0.18	15	2.55
12	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.8	1	0.1	183	14.76	192	16.66
13	सहकारिता	0	0	1	96.26	0	0	1	96.26
14	महिला एवं बाल विकास	1	3.5	0	0	2	0.31	3	3.81
15	डेयरी विकास	1	0.2	1	0.02	0	0	2	0.22
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0	0	0	1	0.37	1	0.37
17	विधि एवं विधायी विभाग	8	0.39	1	7.79	1	0.07	10	8.25
18	श्रम एवं रोजगार	10	3.9	0	0	4	0.75	14	4.65
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0	1	0.08	3	0.15	4	0.23
20	फसल-कृषि कर्म	0	0	1	2.98	3	0.48	4	3.46
21	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	4	20.48	8	1.23	15	22.85
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	5	0.85	9	34.84	4	9.91	18	45.6
23	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1	5.72	0	0	952	951.14	953	956.86
24	लोक कल्याण विभाग	2	0.24	0	0	476	10,269.69	478	10,269.93
25	जल संसाधन विभाग	7	1.25	0	0	15	548.18	22	549.43
26	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0	0	0	1	0.05
27	समाहर्ता कार्यालय	0	0	1	0.07	1	0.3	2	0.37
28	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	0	0	0	0	1	0	1	0
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0	1	189.9	0	0	1	189.9
30	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	0	0	0	0	2	4.41	2	4.41
31	राज्य उत्पाद शुल्क	1	3	0	0	0	0	1	3
योग		137	57.81	68	532.03	1933	11,983.49	2138	12,583.33

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: कंडिका 4.14, पृष्ठ-80)

सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण
(31 मार्च 2021 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						योग
		05 वर्षों तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	3 (0.08)	4 (2.14)	4 (8.08)	2 (2.51)	1 (0.13)	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	1 (0.20)	2 (0.88)	1 (0.16)	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	—	—	—	2 (0.07)	1 (11.77)	3 (0.16)	6 (12.00)
5	तकनीकी शिक्षा	1 (0.15)	3 (46.79)	8 (5.42)	—	—	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	2 (0.21)	—	2 (0.75)	3 (1.46)	4 (12.67)	10 (2.89)	21 (17.98)
7	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	1 (1.00)	—	1 (0.00)	—	—	—	2 (1.00)
8	विद्यालय शिक्षा	5 (0.28)	5 (180.98)	3 (7.14)	7 (22.77)	—	39 (25.12)	59 (236.29)
9	पुलिस	152 (15.03)	57 (5.73)	30 (4.79)	11 (11.32)	3 (1.10)	6 (16.33)	259 (54.30)
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	12 (1.45)	12 (1.45)
11	भू-राजस्व (तहसील)	—	—	2 (0.98)	1 (0.00)	—	12 (1.57)	15 (2.55)
12	पशु चिकित्सा सेवाएँ	61 (4.83)	51 (5.55)	62 (3.40)	13 (2.19)	—	5 (0.69)	192 (16.66)
13	सहकारिता	—	—	—	—	—	1 (96.26)	1 (96.26)
14	महिला एवं बाल विकास	—	—	—	—	—	3 (3.81)	3 (3.81)
15	डेयरी विकास	—	—	—	1 (0.20)	—	1 (0.02)	2 (0.22)
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	—	1 (0.37)	—	—	—	—	1 (0.37)
17	विधि एवं विधायी विभाग	6 (0.36)	2 (0.00)	—	1 (0.10)	1 (7.79)	—	10 (8.25)
18	श्रम एवं रोजगार	2 (1.02)	2 (0.50)	—	5 (2.71)	—	5 (0.42)	14 (4.65)
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	—	2 (0.12)	—	2 (0.11)	4 (0.23)
20	फसल-कृषि कर्म	—	2 (0.16)	—	2 (3.30)	—	—	4 (3.46)
21	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	—	12 (3.10)	15 (22.85)
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	1 (0.00)	2 (9.90)	—	1 (30.75)	5 (2.27)	9 (2.68)	18 (45.60)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	वानिकी तथा वन्य प्राणि	29 (31.90)	35 (82.27)	50 (98.73)	109 (144.37)	206 (411.77)	524 (187.82)	953 (956.86)
24	लोक कल्याण विभाग	15 (564.32)	338 (8,769.39)	83 (807.27)	42 (128.95)	—	—	478 (10,269.93)
25	जल संसाधन विभाग	9 (358.97)	5 (6.00)	8 (184.46)	—	—	—	22 (549.43)
26	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
27	समाहर्ता कार्यालय	—	—	—	—	—	2 (0.37)	2 (0.37)
28	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
30	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	—	1 (4.00)	1 (0.41)	—	—	—	2 (4.41)
31	राज्य उत्पाद शुल्क	1 (3.00)	—	—	—	—	—	1 (3.00)
योग		291 (981.32)	510 (9,113.83)	256 (1,141.21)	204 (351.70)	222 (447.66)	655 (537.61)	2,138 (12,573.33)

परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ: कंडिका 4.14, पृष्ठ -80)

विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वसूली प्रकरण संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग के नाम	प्रकार दुर्विनियोजन/हानि/चोरी	वर्ष	हानि की राशि	वसूली गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	100	2055	पुलिस	हानि	2020	15,550.00	15,550.00
02	101	2055		हानि	2021	3,310.33	3,310.33
03	99	2406	वन	हानि	2020	47,304.00	47,304.00
04	102	2406		हानि	2021	23,670.00	23,670.00
05	103	2406		हानि	2021	14,938.00	14,938.00
योग						104,722.33	104,722.33

परिशिष्ट 5.1

(कड़िका : 5.4 में संदर्भित)

पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2021 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर कुल निवेश		
								पूँजी ^{\$}	दीर्घावधि ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कार्यशील पीएसयूज जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	16.11.1981	2016-17	2020-21	-2.60	52.45	1.60	1.6	0	1.6
2	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल)	16.09.2016	2016-17	2020-21	-0.02	2.98	0.10	0.10	0.00	0.1
3	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड (सीएसआईआईसीएल)	12.12.2017	प्रथम लेखे अप्राप्त थे	-	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
योग-I					-2.62	55.43	1.70	1.75	0.00	1.75
II. निष्क्रिय पीएसयूज										
सरकारी कम्पनियाँ										
4	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	30.12.2008	2019-20	2020-21	-0.09	0.00	21.94	21.94	0	21.94
5	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)	11.04.2008	2018-19	2020-21	0.00	0.00	82.60	82.60	231.71	314.31
योग-II					-0.09	0.00	104.54	104.54	231.71	336.25
महायोग (I+II)					-2.71	55.43	106.24	106.29	231.71	338.00

\$ आबंटन हेतु लंबित अंश आवेदन की राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट 5.2

(कड़िका : 5.6.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2021 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी ^१				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसी जी	जीओ आई	अन्य ^२	कुल	जीओसी जी	जीओआई	अन्य ^३	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ऊर्जा													
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2814.30	0.00	0.00	2814.30	29.21	0.00	7270.08	7299.29	2843.51	10113.59
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	904.71	0.00	0.00	904.71	0.00	0.00	1316.49	1316.49	904.71	2221.20
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2263.10	0.00	0.00	2263.10	21.17	292.78	1697.15	2011.10	2284.27	4274.20
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	31.12.2008	609.73 ^६	0.00	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	609.73	609.73
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.80	0.80	0.05	0.85
6	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	ऊर्जा	13.03.2018	0	0	200	200.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00
कृषि एवं संबद्ध													
7	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73	26.65
8	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	19.40	19.40	0.50	19.90
सेवाएं													
9	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	29.11.2001	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी ^१				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसी जी	जीओ आई	अन्य ^२	कुल	जीओसी जी	जीओआई	अन्य ^३	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
10	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	27.02.2017	0.00 [#]	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00	239.00
11	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	07.10.2010	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45
13	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	538.63	538.63	2.00	540.63
14	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	0.00	2.02	4.04	67.98	0.00	0.00	67.98	70.00	72.02
15	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	07.12.2016	25.5	24.5	0	50.00	0	0	0	0.00	25.50	50.00
16	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
17	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
अधोसंरचना													
18	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी/ शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	11.11.2014	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90
19	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.10.2017	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	19.09.2016	0	0	0.10	0.10	0	0	0	0.00	0.00	0.10

क्र.सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [§]				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसी जी	जीओ आई	अन्य [‡]	कुल	जीओसी जी	जीओआई	अन्य [‡]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
21	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	26.02.2001	4.20	0.00	0.00	4.20	0	0	0	0.00	4.20	4.20
22	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	15.03.2018	0.10	0.00	0.00	0.10	0	0	1,759.11	1,759.11	0.10	1759.21
23	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60
24	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.09.2016	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
25	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	12.12.2017	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
वित्त													
26	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	समाज कल्याण	04.07.2004	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
अन्य													
27	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	0.00	0.00	1.00	367.47 [@]	0.00	0.00	367.47	368.47	368.47
28	केरवा कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	20.01.2015	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	14.21	14.21	0.00	19.11
29	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	0.00	0.00	82.60	82.60	0.00	0.00	231.71	231.71	0.00	314.31
30	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	0	0	21.94	21.94	0	0	0	0	0.00	21.94
कुल				6672.52	25.42	315.76	7013.70	724.83	292.78	12847.58	13865.19	7397.35	20878.89

[§] पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है।

[‡] वित्तीय संस्थाएँ, बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।

€ राज्य सरकार द्वारा सीएसपीएचसीएल को प्रदान की गई पूँजी ₹6591.89 करोड़ में से ₹5,982.16 करोड़ सीएसपीएचसीएल (होलिंग कम्पनी) द्वारा सहायक कम्पनियों अर्थात् सीएसपीजीसीएल (₹2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹0.05 करोड़) में निवेश की गई जैसाकि स. क्र. 1, 2, 3 एवं 5 में दर्शाया गया है। अतः सहायक कम्पनियों में निवेश किए गए ₹5,982.16 करोड़ को छोड़कर ₹ 609.73 करोड़ को ही सीएसपीएचसीएल की पूँजी दर्शाया गया है।
@ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग से छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से ऋण की राशि प्राप्त की गयी है अतः इसे छत्तीसगढ़ शासन के निवेश की तरह माना गया है।
₹7000

परिशिष्ट 5.3

(कड़िका : 5.9.1 में संदर्भित)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
पीएसयूज जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया	
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
पीएसयूज जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया	
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड
6	केरवा कोल लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड